भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1102

दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

जमुई में स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाना

†1102. श्री अरूण भारती:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत जमुई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने को अनुमोदित/स्वीकृत कर दिया है, यदि हां, तो स्थिति और समय-सीमा का ब्लॉक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) 1 जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार जुमई में कृषि फीडरों को अलग करने करने के कार्य में क्या वास्तविक और वित्तीय प्रगति हुई है;

(ग) क्या वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जमुई में उप-केंद्रों (33/11 केवी) के सुदृढ़ीकरण के लिए धनराशि जारी की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जमुई सर्किल में एटीएंडसी हानियों में कमी की पहचान की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान जमुई विरासत/बाजार क्षेत्रों में भूमिगत केबल बिछाने के लिए नई स्वीकृतियां प्रस्तावित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जमुई संसदीय क्षेत्र के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत 54,456 उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग कार्यों को संस्वीकृति दी गई। इसका विवरण इस प्रकार है:

ब्लॉक	संस्वीकृत स्मार्ट प्रीपेड मीटर (संख्या)	अब तक संस्थापित (संख्या)
जमुई	21,729	15,171
झाझा	7,500	3,812
शेखपुर	18,227	9,230
बरबीघा	7,000	4,718
कुल	54,456	32,931

संस्वीकृत किए गए कार्य स्कीम की अवधि समाप्त होने तक अर्थात मार्च, 2028 तक पूरे किए जाने हैं।

(ख) : जमुई संसदीय क्षेत्र में, राज्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार, आरडीएसएस के तहत 102 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ 50 फीडरों को अलग करने की संस्तुति दी गई है। संस्तुत किए गए कार्यों में से, अब तक 80 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रगति के साथ 49 फीडर अलग किए जा चुके हैं।

(ग) : आरडीएसएस के तहत, जमुई संसदीय क्षेत्र के लिए 2 नए 2x10 एमवीए सबस्टेशन संस्तुत किए गए हैं और कार्य चल रहा है। इस स्कीम के तहत, वार्षिक मूल्यांकन में पास होने और योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार संस्तुत किए गए कार्यों की भौतिक प्रगति के आधार पर वितरण कंपनियों को निधियाँ जारी की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल), जिसमें जमुई सर्कल भी शामिल है, को स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार हानि कम करने और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 490 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(घ) : भारत सरकार ने देश में, जिसमें जमुई निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है, वितरण अवसंरचना को बेहतर बनाने और एटीएंडसी हानि को कम करने के लिए कई सुधार उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. आरडीएसएस के तहत निधियाँ जारी करना राज्यों/वितरण यूटिलिटी द्वारा अपने कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी कदम उठाने से जुड़ा है। इस स्कीम के तहत, स्वीकृत कार्यों में अनावृत्त कंडक्टरों को कवर्ड कंडक्टरों से बदलना, एरियल बंच्ड (एबी) केबल बिछाना, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर (डीटी)/सब-स्टेशनों का अपग्रेडेशन/बढ़ावा देना आदि शामिल हैं। इन कार्यों के निष्पादन से एटीएंडसी हानि को कम करने और विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी। प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग भी आरडीएसएस के तहत परिकल्पित महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है, जिससे एटीएंडसी हानि को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
ii. राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत यूटिलिटी को ऋण स्वीकृत करने के लिए अतिरिक्त विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित शर्तों के मुकाबले विद्युत वितरण यूटिलिटी के प्रदर्शन पर निर्भर हैं।
iii. ईंधन और विद्युत खरीद लागत समायोजन (एफ़पीपीसीए) और लागत-प्रतिबिंबित टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए नियम ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्युत आपूर्ति के लिए सभी विवेकपूर्ण लागतें पारित हों।

एटीएंडसी हानि की निगरानी वितरण यूटिलिटी स्तर पर की जाती है और उनके ऑडिट किए गए वार्षिक वित्तीय खातों के आधार पर गणना की जाती है। इसके अलावा, आरडीएसएस के तहत, एटीएंडसी हानि में कमी के लिए एक ट्रेजेक्टरी भी निर्धारित किया गया है जो निधि जारी करने से जुड़ा है। एसबीपीडीसीएल की उपलब्धि इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष 21	**वित्तीय वर्ष 22**		**वित्तीय वर्ष 23**		**वित्तीय वर्ष 24**		**वित्तीय वर्ष 25**	
वास्तविक (आधाररेखा)	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
36.88	35	39.07	31	25.05	25	22.89	20	16.35

साथ ही, राज्य और केंद्र सरकार के मिले-जुले प्रयासों और किए गए सुधारों के कारण, बिहार राज्य में एटी&सी हानि वित्त वर्ष 2021 में 35.33% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 15.51% हो गए हैं।

(ङ) : जमुई हेरिटेज/बाजार क्षेत्रों में भूमिगत केबल बिछाने का ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****